भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3659
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ

ग्राम स्वराज की परिकल्पना

3659. श्री अरुण गोविल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है;

(ख) क्या अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर में 'जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989' कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात् गांवों के विकास में परिवर्तन हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, संविधान के प्रावधानों के अधीन, पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से स्थापित और संचालित की जाती हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था को साकार करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं और अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशनों, सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आदि के माध्यम से समय-समय पर उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।

इस मंत्रालय ने प्रयोक्तानुकूल वेब-आधारित पोर्टल, ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित परिसंपत्तियों के विवरण में पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा, पंचायत खातों अर्थात ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों और व्यय का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन-ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत के खातों के लेखापरीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट का मसौदा, ऑडिट पैरा का मसौदा आदि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को प्रभावी रूप से काम करने और जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों के नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है। इसके अलावा, इस योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सुधार के लिए योजना प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन, लिखित सामग्री, ऑडियो-विजुअल और अन्य प्रकार की सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री के विकास, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, ईआर और पंचायत पदाधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वर्चुअल मोड में ईआर और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उपग्रह-आधारित प्रणाली, राज्यों के भीतर और बाहर एक्सपोजर दौरों में भी सहायता करती है। हाल ही में, मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, आईआरएमए और अन्य उत्कृष्टता संस्थानों में ईआर के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रभावी ग्रामीण शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के लिए अपने कौशल को उन्नत करने हेतु ईआर के नेतृत्व विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

वर्तमान में, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग-IX के प्रावधान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं, सिवाय उन क्षेत्रों के जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 243ड के अंतर्गत छूट दी गई है।

(ख) और (ग) स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शुरू की गई थी। पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग IX, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुवर्ती के रूप में संविधान में शामिल किया गया था, जिसने 'पंचायतों' को अनिवार्य रूप से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को हलका पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला योजना एवं विकास बोर्डों के गठन के लिए 11 जुलाई, 1989 को तत्कालीन राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए 1 जुलाई, 1997 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) में पंचायती राज को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए प्रभावी स्थानीय स्वशासन के साधन के रूप में लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जम्मू और कश्मीर के पीआर अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ कोई संबंध नहीं है।

***